तारीख हुकम

तारीख हुकम

हुकम कार्यवाही मय इनिसियल्स जज

हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

राजस्व अपील संख्या 13/2018 अनवान पीराराम बनाम सरपंच, ग्राम पंचायत महाबार एवं अन्य

राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालय पर न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से पक्षकारान ग्राम पंचायत मुख्यालय वांकलपुरा पर जरिये नोटिस तलब होकर दिनांक 23.11.2021 को ग्राम पंचायत मुख्यालय, राजकीय उच्च प्राथमिक विधालय सौलकीयों की बस्ती (वांकलपुरा) पर पत्रावली पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी, बाडमेर

23.11.2021

पत्रावली राजकीय उच्च प्राथमिक विधालय सौलकीयों की बस्ती (वांकलपुरा) पर पेश हुई। अपीलार्थी उपस्थित। उत्तरदाता 02, 03 एवं 05 उपस्थित। अपीलार्थी का कथन है, कि अपीलार्थी एवं उत्तरदाता सं0 02 से 05 लाखाराम के प्रथम वर्ग के विधिक वारिसान है। अपीलांट के पिता लाखाराम पुत्र बस्ताराम के नाम से मौजा करनपुरा महाबार के खेत खसरा नंबर 283 रकबा 48.14 बीधा आया हुआ है तथा अपीलांट एवं उतरदाता संख्या 02 से 04 के पिता एवं 05 के पति लाखाराम का 06.02.2015 हो देहान्त हो गया उसके देहान्त के समय प्रथम वर्ग मे जीवित वारिसान में अपीलान्ट पीराराम एवं उतरदाता संख्या 02 से 5 हैं एवं हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार खातेदार लाखाराम के देहान्त के समय उसकी सम्पति के अधिकार उसके विधिक वारिसान में निहित हो गये। अपीलांट के पिता लाखाराम की फौतगी पर विरासत के नामान्तरकरण की कार्यवाही अपीलांट की जानकारी में लाये बिना पटवारी हल्का महाबार ने विरासत का नामान्तरकरण भर कर के लाखाराम के विधिक वारिस में उसके पुत्र (अपीलांट) की जगह गलत रूप से प्रहलादराम का अंकन कर दिया गया। परन्तु प्रहलादराम लाखाराम के विधिक वारिस नहीं है तथा पटवारी हल्का द्वारा लाखाराम के विधिक वारिसान में उत्तरदाता संख्या 2 से 5 के साथ अपीलान्ट पीराराम की जगह गलत तथ्य पेश कर विरासत का नामान्तरकरण संख्या 33 गलत रूप से खोला गया। तथा ग्राम पंचायत महाबार द्वारा बिना जांच करवाये अपीलाधीन आदेश स्वीकृत कर दिया गया तथा अपीलाधीन आराजी के खातेदारी रेकर्ड मे स्व0 लाखाराम के वारिस में पीराराम की जगह प्रहलादराम का नाम खातेदारी में गलत रूप से अंकित कर दिया गया। अपीलांट के पिता के देहान्त के बाद अपीलांट बाहर मजदुरी करने पर चला गया तथा वर्तमान में भी अपीलांट बाहर में ही मजदूरी करता है को उपरोक्त कार्यवाही का कोई ज्ञान नही रहा। अपीलांट आज दिन तक यही समझता रहा कि उसका नाम इस आराजी के खातेदारी रिकार्ड में उत्तरदाता संख्या 02 से 05 के साथ सही नाम दर्ज है। परन्तु अपीलांट द्वारा अपनी भूमि पर कृषि ऋुण के लिए पटवारी हल्का से जमाबन्दी लेने गया तो पता चला कि अपीलांट के नाम का अंकन उसके खोतदारी भूमि में सही नहीं है। अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आराजी के संबंध में पटवारी हल्का महाबार से रेकर्ड की जानकारी ली तो अपीलांट का नाम अंकित नही होना पाया जिस पर अपीलांट आराजी विरासत का नामान्तरकरण संख्या 33 खोलते सयम अपीलांट के नाम का अंकन सही नही हुआ तथा ग्राम पंचायत महाबार द्वारा अपीलांट के हितों

(सावलाराम) सरपंच
ग्राम पंचायत बांकलपुरा
प.स.बाड़मेर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर

को अनदेखा करते हुऐ गलत रूप से नामान्तरकरण पारित किया गया है। उक्त नामान्तरकरण की कार्यवाही बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये गैर कानूनी रूप से की गई है। जो निरस्त योग्य है।

अपील पंजीयन कर उत्तरदातागण को जरिये सम्मन तलब किया गया। उत्तरदाता संख्या 02,03 एवं 05 उपस्थित रहे। एवं अपील स्वकार हेतु सहमती जाहिर की गई। तहसीलदार, बाड़मेर से अपील में अंकित तथ्यो के बारे में तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। मजमे आम में उपस्थित लोगो से जानकारी ली गई। तहसीलदार बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक प्रतिवदेन अनुसार अपीलांट व उतरदाता संख्या 2 से 5 की संयुक्त खातेदारी भूमि मौजा करनपुरा खसरा नंबर 283 रकबा 48.14 बीघा की आई हुई है। अपीलांट के आस–पड़ौस के मौजिज लोगों से तथा आज दिनांक 23.11.2021 की बैठक में मजमेआम में पुछताछ करके अपीलांट द्वारा प्रस्तुत तथ्यों की जांच की गई, सही पाया। पुछताछ करने पर पाया कि अपीलांट पीराराम एवं उतरदाता संख्या 02 से 5, लाखा पुत्र बस्ता के विधिक वारिसान है। अपीलांट के पिता लाखा पुत्र बस्ता की मृत्यु के उपरान्त मौजा करनपुरा में उक्त वर्णित भूमि में विरासत का नामान्तरकरण संख्या 33 दायर करते वक्त मानवीय त्रुटि से अपीलांट पीराराम की जगह प्रहलादराम नाम दर्ज कर दिया गया, जो गलत है। अपीलांट का सही वास्तविक एवं आम बोलचाल में नाम पीराराम ही है। इसके राशनकार्ड, जोबकार्ड, आधारकार्ड, बैक डायरी, बीमा पॉलिसी इत्यादि दस्तावेजों तथा इसके बच्चों की वाल्दियत में भी पीराराम नाम अंकित है। अपीलांट पीराराम व उतरदाता संख्या 02 से 5 तक के अलावा प्रहलादराम नाम से लाखा पुत्र बस्ता के कोई वारिस नहीं है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत तथ्यों से उतरदाता संख्यां 2 से 5 तक सहमत है। इन्हे कोई आपति नहीं है। मौजा करनपुरा तहसील बाड़मेर के खेत खसरा नंबर 283 रकबा 48.14 बीघा में अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 33 को निरस्त करते हुए मृतक लाखा पुत्र बस्ता के प्रथम वर्ग के विधिक वारिसान सगताराम, पेमाराम, हुकमाराम, पीराराम पि0 लाखाराम एवं वालीदेवी पत्नी लाखाराम के नाम विरासत का नामान्तरकरण पारित किया जाना उचित है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत, महाबार द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण सं0 33 पर पारित आदेश दिनांक 20.03.2015 को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार, बाड़मेर को आदेश दिये जाते है कि नये सिरे से नामान्तरकरण खोला जाकर मौजा करनपुरा तहसील बाड़मेर के खेत खसरा नंबर 283 रकबा 48.14 बीघा में अंकित मृतक खातेदार लाखा पुत्र बस्ता जाति सुथार के वारिशान के साथ मे अपीलान्ट पीराराम का नाम सहखातेदार के रूप मे अंकित करते हुए प्रहलादराम का नाम हटाया जावें समस्त राजस्व अभिलेख में अमलदरामद सुनिश्चित करावे। आदेश मजमें आम में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हों।

उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर